अरुण कुमार

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

(2008 की आपराधिक अपील संख्या 347)

19 फ़रवरी 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, न्यायमूर्ति]

विचारण :

किशोर परीक्षण – सत्र न्यायाधीश ने माना कि अभियुक्त किशोर नहीं था — किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विचारण हेतु दी गई उसकी आवेदन-प्रार्थना अस्वीकार कर दी — उच्च न्यायालय ने आवेदन स्वीकार कर लिया — अपील पर, निर्णय: उच्च न्यायालय यह ध्यान देने में विफल रहा कि आरोप गठन के समय अभियुक्त की आयु को वयस्क के रूप में दर्ज किया गया था — साथ ही अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों में नाम का अंतर अभियुक्त द्वारा नहीं समझाया गया — उच्च न्यायालय ने यह बताए बिना कि विचारण न्यायालय के निष्कर्ष किस प्रकार त्रुटिपूर्ण थे, आवेदन स्वीकार कर लिया — मामला नये सिरे से विचार हेतु उच्च न्यायालय को पुनः भेजा गया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने माना कि अभियुक्त-प्रत्यर्थी संख्या 2 किशोर नहीं था, और इसीलिए उसकी आयु निर्धारित करने तथा फिर विचारण हेतु उसके मामले को किशोर न्याय बोर्ड को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उच्च न्यायालय ने माना कि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र और अंक-पत्र दर्शाते हैं कि वह किशोर था और इसलिए उसकी आवेदन-प्रार्थना स्वीकार की जानी चाहिए तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया कि अभियुक्त को किशोर मानते हुए कार्यवाही आगे बढ़ाए

अपील में, इस न्यायालय के समक्ष, सूचना-दाता ने यह आग्रह किया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का विश्लेषण किया गया था और यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि

आरोप निर्धारण के समय निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि वह निःसंदेह रूप से वयस्क था; प्रस्तुत प्रमाण-पत्र में उल्लिखित नाम भी भिन्न था; उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने यह भी नहीं देखा कि विचारण न्यायालय के निष्कर्ष किस प्रकार किसी त्रुटि से ग्रसित थे और केवल अभियुक्त के पक्ष-विवरण का उल्लेख करते हुए तथा विचारण न्यायालय द्वारा किए गए अवलोकनों एवं निष्कर्षों की सत्यता या असत्यता का परीक्षण किए बिना यह निर्णय दे दिया कि अभियुक्त किशोर था।

न्यायालय के समक्ष दायर अपील में, सूचक ने यह प्रतिवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों का परीक्षण किया गया था और यह स्पष्ट रूप से निर्णय दिया गया था कि अभियोग गठन के समय निरीक्षण पर यह पाया गया था कि आरोपी निःसंदेह बालिग था; कि प्रमाणपत्र में उल्लिखित नाम भिन्न था; कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने इस बात पर विचार नहीं किया कि विचारण न्यायालय के निष्कर्ष किस प्रकार किसी त्रुटि से ग्रस्त थे, और केवल आरोपी के पक्ष में प्रस्तुत कथन का उल्लेख करते हुए तथा विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए अवलोकनों और निष्कर्षों की सत्यता अथवा असत्यता का परीक्षण किए बिना, यह घोषित कर दिया कि आरोपी एक किशोर था।

न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुए तथा वाद को उच्च न्यायालय को पुनः प्रेषित करते हुए यह निर्णय दिया गया कि:

उच्च न्यायालय अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देने में विफल रहा। प्रथम, अभियोग गठन के समय आरोपी की आयु बालिग दर्ज की गई थी। द्वितीय, दस्तावेज़ों में नामों का अंतर आरोपी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया। तृतीय, इस बात पर कोई चर्चा नहीं की गई कि विचारण न्यायालय के निष्कर्ष किस प्रकार किसी प्रकार की त्रुटि से ग्रस्त थे। अंततः, वाद के निष्पादन से पूर्व अपीलकर्ता को कोई सूचना जारी नहीं की गई। [पैराग्राफ 5-7] [53-एफ, जी; 54-ए]

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता : (2008 की आपराधिक अपील संख्या 347) पटना उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 19.01.2001 को सीडब्लूजेसी संख्या 2852/2007 में पारित अंतिम आदेश से।

रंजन मुखर्जी तथा एस.सी. घोष — अपीलकर्ता की ओर से।

मनीष कुमार, गोपाल सिंह तथा लक्ष्मी रमन सिंह — प्रत्यर्थियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजित पसायत, न्यायमूर्ति द्वारा 1. अनुमति प्रदान की जाती है।

2. इस अपील में चुनौती पटना उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित उस आदेश को है, जिसके द्वारा अधीनस्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय पाँचवाँ, शेखपुरा द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने यह माना था कि प्रत्यर्थी संख्या 2 — मुन्ना कुमार किशोर नहीं था, और इस कारण उसके मामले को उसकी आयु निर्धारित करने तथा उसके बाद विचारण के लिए किशोर न्याय बोर्ड को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रार्थना (आवेदन) केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दी गई कि दो या तीन गवाहों का परीक्षण हो चुका था, और यद्यपि अभियुक्त के पास यह दिखाने के लिए विद्यालय त्याग–प्रमाणपत्र, अंक–पत्र आदि थे कि वह किशोर है, फिर भी उसकी प्रार्थना अस्वीकार नहीं की जानी चाहिए थी। उच्च न्यायालय ने अत्यन्त संक्षिप्त ढंग से यह कहा कि अभियुक्त का आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए तथा अधीनस्थ अदालत को निर्देश दिया कि अभियुक्त को किशोर मानकर उसी प्रकार आगे की कार्यवाही करे।

3. सूचित पक्ष के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय द्वारा जो दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए थे, उनका विश्लेषण किया गया और यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि आरोप

तय करते समय प्रेक्षणों पर यह देखा गया कि वह निःसंदेह ज्येष्ठ (major) था। प्रमाणपत्र में नाम प्रियताम बिहारी के रूप में दिया गया था, जबकि पूरे प्रकरण में उसका नाम मुन्ना कुमार बताया गया। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने यह तक विचार नहीं किया कि विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में किस प्रकार की कोई दोषपूर्णता थी। केवल अभियुक्त के पक्ष का हवाला देकर और विचारण न्यायालय द्वारा किए गए प्रेक्षणों तथा निष्कर्षों की सत्यता या शुद्धता का विवेचन किए बिना, उसने यह मान लिया कि अभियुक्त बालक है। अतिरिक्त रूप से, याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय में पक्षकार था पर उसे नोटिस जारी नहीं किया गया। प्रतिवादी क्रमांक 2-अभियुक्त की ओर से उपस्थिति भी नहीं थी।

4. राज्य के पक्ष के अधिवक्ता ने सूचित पक्ष के तर्क का समर्थन किया।

5. उच्च न्यायालय ने कई प्रासंगिक कारकों को अनदेखा कर दिया है। प्रथम, आरोप तय करते समय अभियुक्त की आयु को वयस्क के रूप में दर्ज किया गया था।

6. उसी प्रकार, दस्तावेजों में नामों में अंतर का स्पष्टीकरण अभियुक्त द्वारा नहीं दिया गया। आगे, जैसे कि आवेदक के अधिवक्ता ने सही रूप से तर्क किया, यह बताया नहीं गया कि विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में किस प्रकार की कोई दोषपूर्णता थी — इस विषय पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ।

7. अन्त में, प्रकरण निपटाए जाने से पूर्व आवेदक को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया।

8. उपर्युक्त स्थिति के प्रकाश में, उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है और मामला पुनः विचार हेतु उसे भेजा जाता है ताकि वह पुनः विचार कर परितोषजनक कारणानुसार एक तर्कसंगत आदेश पारित करे।

अपील स्वीकृत किया जाता है।

अपील स्वीकृत।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।